International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 9, September - 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

राजस्थान में सतत ग्रामीण विकास व सरकारी योजनाएँ

डॉ0 महेष कुमार बबेरवाल

सह आचार्य–भूगोल

एस.एन.के.पी. राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना

जिला सीकर (राजस्थान)

विकास सम्पूर्ण विष्व के व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों एवं राष्ट्रों द्वारा सार्वभौमिक उद्देष्यों को संजोये रखने का तरीका है। विकास प्राकृतिक रूप में भी पृथ्वी पर उपस्थित प्राणिमात्र को नैसर्गिक रूप से बने रहने एवं विकास के लिए प्रेरित करता है। विकास एवं व्यक्तिपरक एवं मूल्य आधारित संकल्पना है। पर्यावरण एवं विकास पर विष्व आयोग (डब्ल्यू.सी.ई.डी. 1987 पृष्ठ–43) के अनुसार सतत विकास ऐसा विकास है जिसका वर्तमान की आवष्यकताओं की पूर्ति भविष्य की क्षमताओं के साथ कोई समझौता किये बगैर उनकी आवष्यकताओं की पूर्ति करता है। सीधे शब्दों में सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपेक्षित सामाजिक उद्देष्यों अथवा विकास सूचकांक में समय के साथ गिरावट नहीं आती है। प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण समेत प्राकृतिक पूँजी भण्डार को बनाए रखना सतत विकास की अनिवार्य शर्त है। सतत विकास नीति के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त दषाओं के अन्तर्गत यथोचित सास्थानिक ढ़ाचे एवं अभिषासन व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है।

ग्रामीण विकास शब्द ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को प्रदर्षित करता है। इसमें कृषि और सहायक गतिविधियों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग और षिल्पकारी, सामाजिक, आर्थिक अधोसरंचना, सामुदायिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ और इन सभी से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों के मानव संसाघनों का विकास सम्मिलित है। एक तथ्य के रूप में ग्रामीण विकास विविध भौतिक तकनीकी, आर्थिक सामाजिक–सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारकों के मध्य अन्तर्सम्बन्धों का अंतिम परिणाम है।

रोबर्ट चेम्बर्स के शब्दों में (1983ः 147)– ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जो समूह विषेष के लोगों, ग्रामीण पुरूषों एवं स्त्रियों को समर्थ बनाती है। उन्हें एवं उनके बच्चों उनकी इच्छाओं एवं आवष्यकताओं से अधिक अर्जित करने के योग्य बनाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनतम लोगों को आजीविका पाने में सहायता मिलती है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ती है और विकास का लाभ लघु तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीनों आदि तक पहुँचता है।

भारत आनादिकाल से ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला देष रहा है, वर्तमान में भी है एवं भविष्य में भी रहेगा। तथ्यगत दृष्टि से ग्राम वैदिककाल से ही प्रषासन की मूल्य इकाई रहा है, ऋग्वेद में ग्रामीणी (ग्राम समूह) का सन्दर्भ आता है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण चरित्र की प्रमुखता यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिषत से प्रतिबिम्बित होती रही है। 1901 में यह 89 प्रतिषत थी, 1951 में 83 प्रतिषत, 1971 में 80 प्रतिषत, 1991 में 74 प्रतिषत, 2001 में 72.2 प्रतिषत जनसंख्या गाँवों में निवस करती है। राजस्थान में 2011 के अनुसार 75.30 प्रतिषत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वानिकी तथा मत्स्य

पालन समेत कृषि का वर्ष 2007 के मूल्यों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25–30 प्रतिषत योगदान है। ऐसे में भारत की सामाजिक–आर्थिक विकास की कोई रणनीति ग्रामीण लोगों एवं क्षेत्रों की अवहेलना करके सफल नहीं हो सकती है। अतः ग्रामीण विकास भारत की एक निरपेक्ष एवं त्वरित आवष्यकता है एवं यह आने वाले समय में भी बनी रहेगी।

देष के चहुंमुखी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितांत आवष्यक है। इस उद्देष्य को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दषक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिषा में प्रयास किये गये, लेकिन राजस्थान में ग्रामीण विकास की ओर से अधिक प्राथमिकता एवं विषेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विषिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई।

वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ–साथ इनका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे विषिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग का नाम दिया गया। 01 अप्रैल 1999 से इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांष योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद् में विलय करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इस तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वय के उद्देष्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग का विलय किया गया है। मन्त्रिमण्डल आज्ञा संख्या 73/2003 दिनांक 25–08–2003 की पालना में मन्त्रिमण्डल सचिवालय की अधिसूचना संख्या थ27;2द्धब्ध्2003 दिनांक 18–03–2006 एवं विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 4(66)पराज/पी.सी./विलय/2003/638 जयपुर दिनांक 23–03–2006 के द्वारा वर्तमान में इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधीन समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी आमजन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को नीचे स्तर तक पहुंचाया जा रहा है ताकि संसाधनों की बचत के साथ–साथ सतत विकास पर जोर दिया जावे।

किसी भी भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति एवं समाज के विकास की ऐतिहासिक दषा में ग्रामीण विकास के वास्तविक अर्थ में तीन तत्व महत्वपूर्ण है। (टोडेरों 1995 : 16–18)।

1. जीवन की आधारभूत आवष्यकता–लोगों की कुछ मूलभूत आवष्यकताएं होती है, जिनके बिना उनका बना रहना असंभव हो जाता है। मूलभूत आवष्यकताओं में ष्भोजन, कपड़ा, आवास, षिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं जीवन और सम्पदा की रक्षा को सम्मिलित किया जाता है। यदि इनमें से कोई एक अथवा सभी अनुपस्थित हो अथवा इनकी आपूर्ति में न्यूनतम स्तर तक गिरावट आ जाए तो हम कह सकते है कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें निरपेक्ष निम्न विकास विद्यमान है। सभी अर्थव्यवस्था में चाहे वे पूँजीवादी हो, समाजवादी हो अथवा मिश्रित उनमें सभी के जीवन की आधारभूत आवष्यकताओं हेतु प्रावधान होता है। इस अर्थ में हम यह दावा कर सकते है कि आर्थिक वृद्धि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार की आवष्यक शर्त है।

2. आत्मसम्मान–प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक राष्ट्र का अपना आत्मसम्मान, गरिमा अथवा आदर होता है। आत्मसम्मान की अनुपस्थिति अथवा बेचना विकास की कमी का द्योतक है।

3. स्वतंत्रता–इस सन्दर्भ में स्वतंत्रता का आषय राजनीतिक एवं वैचारिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक दासता से मुक्ति से है। जहाँ तक एक समाज व्यक्ति की प्रकृति, उपेक्षा, अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं एवं धार्मिक मान्यता की दासता से बंधा है। वह विकास के लक्ष्यों की प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है। दासता को कोई भी स्वरूप न्यून विकास की स्थिति का द्योतक है।

<u>राजस्थान की प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं–</u>

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी कार्यक्रम ;डळछत्म्ळच्द्ध मनरेगा–यह योजना देष में 02 फरवरी 2006 को आरम्भ हुई जबकि राजस्थान में इसकी शुरूआत उदयपुर जिले से हुई तथा 01 अप्रैल 2008 से इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया।

2. स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना ;श्रळैल्द्ध– 01 अप्रैल 1999 को आरम्भ इस योजना में पूर्व में चल रही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रषिक्षण योजना, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार किट योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना और दस लाख कुओं की योजना को सम्मिलित कर चयनित बी.पी.एल. परिवारों को साख व अनुदान द्वारा आय अभिवृद्धि करने वाली परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध करवा कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। यह योजना एक केन्द्र प्रवर्तीत योजना है। जिसमें केन्द्र की 75 प्रतिषत व राज्य की 25 प्रतिषत भागीदारी है।

3. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना– 01 अप्रैल 2002 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिष्चित रोजगार योजना को मिलाकर इसे केन्द्र सरकार द्वारा शुभारम्भ किया, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के साथ ही स्थाई परिसम्पतियों का निर्माण करना है।

4. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना–25 जुलाई 2000 को विष्व बैंक की सहायता से राजस्थान के सात जिलों के 42 ब्लॉकों के ग्रामीण गरीबों को गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जोड़कर उनकी क्षमताओं का विकास करके उनका सषक्तिकरण करना इस योजना का मुख्य उद्देष्य है।

5. स्वविवेक जिला विकास योजना–इस योजना के द्वारा जिले के विकास की आवष्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों में सामना करने व रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला स्तर पर निर्णय लेकर विकास करना है।

6. इंदिरा आवास योजना–केन्द्र व राज्य सरकार की इस योजना की शुरूआत मई 1985 में हुई। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों तथा अन्य बी.पी.एल. ग्रामीण परिवारों के लोगों को एकमुष्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर आवास निर्माण कार्य किये जाते है।

7. प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना–राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराना है।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने हेतु यह योजना 2003 में शुरू की गई जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के समीप 10–15 गांव जिनकी आबादी एक लाख या कम है में शहरी सीमाएं उपलब्ध करवा कर भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं के अंतर को कम करना है।

9. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवष्यकता के अनुरूप जनपयोगी कार्य किये जाते है। इसके अलावा मरू विकास कार्यक्रम, सुरक्षा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉयोगैस कार्यक्रम व जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की अवधारणा को जीवित करके का प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किये जा रहे है।

उद्देष्य–

1. ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता सुधार करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढ़ांचे में सुधार करना।
3. रोजगार के अवसर प्रदान कर बेरोजगारी को कम करना।
4. स्वच्छ पानी, षिक्षा सुविधाएं, बिजली और उचित संचार प्रदान करने के लिए।
5. राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
6. आय के वितरण में समानता प्रदान करना।
7. वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।

परिकल्पना–ग्रामीण विकास को सतत बनाये रखने के लिए सरकारी योजनाओं की पहुंच आम जन को हो और लोगों में योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने की हर संभव प्रयास करने होगें ताकि राजस्थान की प्लैगषीप व अन्य योजनाओं की सभी को जानकारी हो और इसके लाभ प्राप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सके।

ग्रामीण विकास योजनाओं की कमियाँ–

1. रॉल मॉडल का अभाव।
2. निर्माण कार्य स्थल में परिस्थितिकी के चयन की समस्या।
3. आम जनता में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सामान्य जानकारी का अभाव।

4. जन प्रतिनिधियों में प्रषिक्षण का अभाव।

5. ग्राम सभाओं एवं वार्ड सभाओं की प्रभावषीलता में कमियां।

6. सामाजिक अंकेक्षण को सही तरीके से करना।

7. प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव।

सारांष–

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास एवं प्लैगषीप योजनाओं को अगर प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जाये तथा समाज के नीचले स्तर तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच जाये तो राजस्थान राज्य अपने संसाधनों को संरक्षित करते हुए विकास के उच्च स्तर पर पहुंच जायेगा। जिसे आमजन खुषहाल हो जायेगा।

सन्दर्भ–

1. सिंह कटार, ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियां एवं प्रबंध, सेज प्रकाषन नई दिल्ली 2015

2. आर्थिक समीक्षा राजस्थान 2022–23 अध्याय 2015

3. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर

4. अब्दुल, अजीज–डवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर वीकर सैक्सन जयपुर, प्रिन्टवैल पब्लिकेषन 1989

5. बाबेल, बंसतीलाल, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 2001

6. भार्गव डी.के., ग्रामीण निर्माण जयपुर पंचवटी प्रकाषन 1889